दिनांक 26.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 57/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गणतन्त्र दिवस–2026 के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

- **नागरिक को समान सुरक्षा मिले, समान सुनवाई मिले यही रूल ऑफ़ लॉ की आत्मा** है।
- **शहीदों को नमन और सुशासन व जीरो टॉलरेंस के साथ प्रोफेशनल पुलिसिंग की प्रतिबद्धता।**
- **संविधान आधारित पुलिसिंगः कानून का शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सम्मान।**
- **नागरिक–केंद्रित सेवा, महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति और साइबर अपराध पर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई।**
- **वैज्ञानिक विवेचना, फॉरेंसिक विस्तार और प्रशिक्षण से न्याय प्रक्रिया को मजबूत करना।**
- **पुलिस वेलफेयर, मनोबल संवर्धन तथा पदक विजेताओं को सम्मान और बधाई।**

(पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 26-01-2026 को तिलक मार्ग, स्थित आवास/कैम्प कार्यालय, लखनऊ एवं पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार के प्रांगण में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा शपथ दिलायी गयी।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश** ने प्रदेश के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के प्रत्येक प्रहरी को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने अमर राष्ट्र–बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग और बलिदान से हमारा गणराज्य जन्मा है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के उन वीर शहीदों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया, जिन्होंने वर्दी को जीवन से ऊपर रखकर जनता की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित किया।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रोफेशनलिज़्म, तत्परता और अपराधों के प्रति Zero Tolerance दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि सुशासन अब केवल नीति नहीं, बल्कि दैनिक पुलिसिंग व्यवहार बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि Zero Tolerance तभी प्रभावी है जब वह रोज़मर्रा के निर्णयों में दिखाई दे और हर पुलिसकर्मी की कार्य–संस्कृति बने।

उन्होंने कहा कि संविधान ने राज्य और नागरिक के संबंध को अधिकार, कर्तव्य और जवाबदेही के ढांचे में स्थापित किया है। पुलिसिंग का लक्ष्य यह होना चाहिए कि ये मूल्य नागरिक के अनुभव में सुरक्षा, सम्मान और भरोसे के रूप में दिखाई दें। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को पुलिस के "प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स" बताते हुए कहा कि कानून का शासन (Rule of Law) का अर्थ है–कार्रवाई व्यक्ति–निरपेक्ष, तथ्य–आधारित, निष्पक्ष और विधिसम्मत हो; निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी रहे; तथा हर नागरिक को समान सुरक्षा और समान सुनवाई मिले।

पुलिस महानिदेशक ने नागरिक–केंद्रित सेवा पर बल देते हुए कहा कि थानों पर व्यवहार, शिकायत की सुनवाई, प्रक्रिया की स्पष्टता और समयबद्ध निस्तारण–ये नागरिक की गरिमा व विश्वास से सीधे जुड़े हैं। जन–शिकायत निस्तारण को उन्होंने न्याय तक पहुँच का सबसे निकटवर्ती माध्यम बताते हुए कहा कि नागरिक का भरोसा समयबद्ध कार्रवाई और स्पष्ट संवाद से ही सम्मानित होता है।

उन्होंने महिला संबंधी मामलों में रोकथाम, त्वरित सहायता, संवेदनशील सुनवाई और प्रभावी विवेचना–इन चारों स्तरों पर मानकीकृत व जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्राथमिकता दोहराई। इसी उद्देश्य से मिशन शक्ति तंत्र को निरंतर मजबूत किए जाने तथा Mission Shakti Kendra को ग्राउंड–लेवल सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किए जाने की बात कही।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल सुरक्षा स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साइबर अपराध केवल आर्थिक क्षति नहीं, बल्कि निजता, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव डालते हैं। उन्होंने बताया कि रणनीति का फोकस जागरूकता व रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया तथा तकनीक–आधारित जांच/समन्वय को उन्नत करने पर है। जनपद एवं इकाई स्तर पर Trained Cyber Help Desks को सशक्त किया जा रहा है ताकि पीड़ित को त्वरित मार्गदर्शन मिल सके।

उन्होंने न्याय की अवधारणा को पुलिसिंग से जोड़ते हुए कहा कि निष्पक्ष विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य–संकलन और पीड़ित का भरोसा–यही प्रभावी न्याय की बुनियाद है। विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने से निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ बनते हैं और अभियोजन सुदृढ़ होता है। फॉरेंसिक क्षेत्र में राज्य की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 18 फॉरेंसिक लैब की स्थापना से वैज्ञानिक जांच नेटवर्क विस्तृत हुआ है तथा उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, लखनऊ (UPSIFS) के माध्यम से प्रशिक्षण, शोध और विशेषज्ञता को संस्थागत आधार मिला है।

उन्होंने कहा कि पुलिस की क्षमता केवल सिस्टम/संसाधनों से नहीं, बल्कि बल के भीतर मनोबल, स्वास्थ्य और बंधुत्व से भी बनती है। इसलिए पुलिस वेलफेयर, स्वास्थ्य और कार्यस्थितियों पर निरंतर ध्यान आवश्यक है, जिसका सीधा प्रभाव सेवा की गुणवत्ता और फील्ड व्यवहार पर पड़ता है। साथ ही प्रशिक्षण के सतत उन्नयन पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि 60,000 नव–भर्ती कांस्टेबलों के लिए Hybrid Mode Specialised Training को मानकीकृत प्रणाली के रूप में लागू व सुदृढ़ किया जा रहा

है, जिसका फोकस संवैधानिक आचरण, नागरिक–मित्र व्यवहार, बेसिक लॉ, साइबर जागरूकता, ड्यूटी एथिक्स और आपात प्रतिक्रिया पर है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ये सभी प्रयास अलग–अलग कार्यक्रम नहीं, बल्कि संविधान के उच्च आदर्शों को पुलिसिंग के दैनिक व्यवहार में उतारने के साधन हैं। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान तीन स्तंभों पर और मजबूत हो–विधिसम्मत कार्रवाई, नागरिकों के प्रति सम्मान और सेवा में समयबद्धता और प्रदेश सरकार की जनहितकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप नागरिकों की सुरक्षा व विश्वास को सर्वोच्च रखकर कार्य किया जाए।

उन्होंने जानकारी दी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 कार्मिकों को वीरता पदक, 04 को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक तथा 68 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 47 पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 198 को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह तथा 470 को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा 10 पुलिस कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री का वीरता पदक एवं 25 पुलिस कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री का प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया। पुलिस महानिदेशक ने सभी सम्मानित कार्मिकों को बधाई दी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर मुख्यालय में नियुक्त निम्न पुलिस कर्मियों को पदक से अलंकृत किया गया :–

'उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह'

1- श्री विनय कुमार सिंह, निरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।

2–श्री महेन्द्र कुमार, मुख्य आरक्षी चालक, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3– श्री दिलीप कुमार यादव, आरक्षी चालक, विशेष जांच, उ0प्र0 लखनऊ।

'सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह'

1- श्री संजय कुमार शुक्ला, निरीक्षक, जी0आर0पी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

2-श्री नरेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक, जनपद हरदोई।

'पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (प्लेटिनम)'

1-श्रीमती अमृता मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

2– उमेश देव पाण्डेय, निरीक्षक, अपराध शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

'पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (गोल्ड)'

1- मो0 इमरान, पुलिस उप महानिरीक्षक, भवन/कल्याण, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

2–श्री आशुतोष कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस कमिश्नरेट, आगरा।

3–श्री पुष्पेन्द्र नाथ, निरीक्षक, 15वीं वाहिनी पीएसी, आगरा।

4–श्री अशोक कुमार, निरीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

5–श्री धीरज सिंह, मुख्य आरक्षी, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

'पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर)'

1- श्री शिवम मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

2-श्री जावेद खॉ, पुलिस उपाधीक्षक, नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

3–श्री संतोष कुमार, निरीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4–श्री मनीष कुमार, उप निरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।

गणतंत्र दिवस – 2026
मुख्यालय

RAJEEV KRISHNA
IPS

RAJEEV KRISHNA
उत्तर प्रदेश पुलिस

दिनांक 26.01.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 58/2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.01.2026 को थाना छपार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खोजा नंगला–गोपाली मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–वसीम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–इमरान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त वसीम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त वसीम थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–वसीम निवासी तारापुरी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

2–इमरान निवासी कब्रिस्तान का पुल थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना अलीगंज/थाना जैथरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **84 हजार रूपये नगद**
- **02 इन्वर्टर, 01 बैट्री**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.01.2026 को थाना अलीगंज व थाना जैथरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–सोनू 2–अमजद 3–प्रवीन 4–संजय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 84 हजार रूपये नगद, 02 इन्वर्टर, 01 बैट्री, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना अलीगंज व थाना जैथरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलीगंज व थाना जैथरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी ग्राम हत्सारी थाना अलीगंज जनपद एटा।

2–अमजद निवासी ग्राम हत्सारी थाना अलीगंज जनपद एटा।

3–प्रवीन निवासी ग्राम हत्सारी थाना अलीगंज जनपद एटा।

4–संजय निवासी मौ0 काजी कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–84 हजार रूपये नगद।

3–02 इन्वर्टर, 01 बैट्री।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल आदि।

———————